

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

सबरीमला मंदिर से चार किलो सोना चोरी, केरल हाई कोर्ट ने विजिलेस जांच के आदेश दिए

Publisher

Published on 18 Sep 2025



केरल में स्थित प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में है। मंदिर के गर्भगृह से चार किलो सोना रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। इस चोरी की घटना पर केरल हाई कोर्ट ने हैरानी व्यक्त की और विजिलेस जांच के आदेश दिए।

हाई कोर्ट की प्रतिक्रिया

केरल हाई कोर्ट की पीठ न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति केवी जयकुमार ने इस मामले में गहरी चिंता जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने महत्वपूर्ण और सुरक्षित स्थान से कैसे सोना गायब हो सकता है। न्यायालय ने मंदिर प्रशासन से घटना की पूरी जानकारी मांगी। हाई कोर्ट ने विजिलेंस को मामले की जांच करने और जिम्मेदारों की पहचान करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मंदिर और धर्मिक संस्थाओं की सुरक्षा अत्यंत गंभीर मुद्दा है।

चोरी की पृष्ठभूमि

सबरीमला मंदिर, भगवान अयप्पा के लिए प्रसिद्ध है और यह राज्य के सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक है। गर्भगृह में संग्रहित सोना धार्मिक अनुष्ठानों और दान के रूप में रखा जाता है। चोरी का समय और तरीका अभी स्पष्ट नहीं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सुरक्षा प्रणालियों में कोई अंतराल हो सकता है। प्रशासन ने घटना की सूचना पुलिस को दी और मामले की तत्काल जांच शुरू की गई।

विजिलेस जांच का महत्व

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विजिलेस जांच इस चोरी की पूर्ण और निष्पक्ष जांच करेगी। इसका उद्देश्य है:

- चोरी के पीछे के लोगों की पहचान करना।

2. मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करना ।
3. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाना ।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह जांच केवल चोरी के आरोपियों की पहचान तक सीमित नहीं होगी, बल्कि **सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक खामियों** की समीक्षा भी करेगी ।

मंदिर प्रशासन की प्रतिक्रिया

मंदिर प्रशासन ने कहा कि घटना पर **गहरा दुख और चिंता** है । उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए विजिलेंस जांच के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध कराए हैं । प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने और CCTV, गार्ड और अन्य निगरानी उपायों को **सुदृढ़ करने** का आश्वासन दिया । भक्तों और आम जनता को मामले की गंभीरता की जानकारी दी गई ।

संभावित परिणाम

1. **चोरी का पर्दाफाश** : विजिलेंस जांच से दोषियों का पता चल सकता है ।
2. **सुरक्षा में सुधार** : मंदिर और अन्य धार्मिक संस्थाओं में सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाएगा ।
3. **लोक विश्वास** : मामले का निष्पक्ष समाधान भक्तों और जनता का विश्वास बनाए रखेगा ।

सबरीमला मंदिर से चार किलो सोना गायब होना केवल चोरी का मामला नहीं है, बल्कि **धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा** पर भी सवाल उठाता है । **केरल हाई कोर्ट द्वारा विजिलेंस जांच के आदेश** से उम्मीद जताई जा रही है कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और मंदिर की सुरक्षा को भविष्य में और मजबूत किया जाएगा ।